

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०,
जयपुर

यू०ओ०नोट

विषय : राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत बावत ।
संदर्भ : यू०ओ०नोट क्रमांक 1467 दिनांक 17.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 08.03.2018 को समाचार पत्रों में प्रकाशित अनुभवहीन ठेकेदार को टेंडर दिये जाने से दूध सप्लाई गडबडाई के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है :-


1. संयंत्र में पीस रेट पर आधारित कुल 18 कार्य अनुबंध के आधार पर चल रहे थे । इनकी अवधि समाप्त होने पूर्व निविदाएं आमंत्रित की गयी । जिनके तकनीकी भागों को दिनांक 28.04.2017 को खोलना था । समुचित मात्रा में निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण इस दिनांक को विस्तारित कर दिनांक 06.05.2017 तक बढ़ाया गया था ।
2. तत्पश्चात दिनांक 06.05.2017 को ही माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर दुग्ध संघ के निर्देशों की अनुपालना में उक्त निविदाओं को निरस्त किया गया तथा सभी अनुबंधों की अवधि अनुबंध के प्रावधानानुसार तीन माह बढ़ायी गयी ।
3. पूर्व में दिनांक 06.05.2017 को आमंत्रित निविदा शर्तों में कार्य के अनुभव की शर्त रखी गयी थी ।
4. तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय के यू०ओ०नोट दिनांक 23.07.2017 में दिये गये निर्देशों के मध्येनजर निविदा शर्तों में संशोधन किये गये। निविदादाताओं के लिए अनुभव, श्रमिक लाइसेंस, ईएसआई/पीएफ का कोड एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम (FSSAI) जीएसटी लाइसेंस इत्यादि वैधानिक प्रपत्रों को निविदा भरने से पूर्व देने की बाध्यता को समाप्त किया गया । अनुभव के अतिरिक्त शेष वैधानिक प्रपत्रों के बारे में निर्देशित किया गया कि सफल निविदादाताओं को दर अनुमोदन पत्र प्रसारित होने के पश्चात तीस दिवस की समावधि में उक्त प्रपत्र देना आवश्यक होगा ।

उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में निविदा पत्र तैयार कर वर्तमान निविदाएं आमंत्रित की गयी थी ।

उक्त: शिकायत में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप मिथ्यापूर्ण एवं निराधार है । समय रहते कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गयी थी ।

दिनांक 07.05.2018 को जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उस स्थिति में एल 2 पार्टी से चर्चा करने का समय नहीं था । बाद में एल 2 पार्टियों को नियमानुसार कार्य करने के लिए पत्र जारी किये गये थे किन्तु किसी भी एल 2 पार्टी ने जारी पत्रों के जवाब में कार्य करने की सहमति नहीं दी ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।


(के०सी०काबरा)
प्रबन्धक (संयंत्र)

यू०नोट नोट क्रमांक : 7585
दिनांक : 27/4/18

उप प्रबन्धक (एम०आई०एस०)